आदेश क्रम संख्या और तारीख	आदेश क्रम संख्या और तारीख	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर मेदिनीनगर|

6/8/19

दा० खा० अपील सं०-xv/11.18-19

सानु गूजराती ..... अपीलार्थी

बनाम

शब्बीर अहमद - विपक्षी

आदेश

यह दा० खा० अपील वाद विद्वान अंचल अधिकारी सदर मेदिनीनगर द्वारा दा ० खा ० वाद स० - 1074 /15-16 में दिनांक 28.01.16 को ग्राम कुण्ड मोहल्ला हामिद गंज थाना मेदिनीनगर के प्लाट न० 467 रकबा 07 डिसमिल भूमि की विपक्षी शब्बीर अहमद के नाम से पारित दाखिल ख़ारिज आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है | अपील अंगीकृत करते हुए विपक्षी को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत की गयी |

अपीलार्थी के विगत तिथियों से लगातार अनुपस्थित रहने के कारण विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना | अपीलार्थी का अपील अर्जी एवं विपक्षी द्वारा दाखिल रिज्वायंडर का अवलोकन किया अपीलार्थी ने अपील अर्जी में दावा किया है की ग्राम कुण्ड , थाना मेदिनीनगर का सर्वे पूर्ण नहीं हुआ है | इसीलिये खतियान एवं खाता न० -उपलब्ध नहीं

है | ग्राम कुण्ड के भूतपूर्व जमीदार डा ० अब्दुल हमिद थे | सुदामा राम डा ० अब्दुल हामिद का मोलाजिम था , इसीलिए उन्होंने ग्राम कुण्ड का प्लाट न० -467 रकबा 07 डिसमिल भूमि मुहजबानी बंदोबस्त कर दिया | सुदामा राम ने प्लाट की भूमि पर वर्ष 1930 के आस -पास एक आवासीय झोपड़ी का निर्माण किया | सुदामा राम के पीछे एक पुत्र कैलाश राम को छोड़कर निधन हो गया | कैलाश राम के और अन्य भाई थे किन्तु सभी अलग अलग रहते थे | कैलाश राम चुकी सुदामा राम के साथ रहता था , इसीलिए सुदामा के मृत्यु के बाद प्रश्नगत भूमि / झोपड़ी के उतराधिकार एवं दखल कब्ज़ा में अकेले कैलाश राम आया | इसी बीच डा ० अब्दुल हामिद की अपने पीछे पुत्र इब्राहीम खान को छोड़कर मृत्यु हो गयी | इब्राहीम खां ने वर्ष 1942 के आसपास छप्परबन्दी बंदोबस्ती का परवाना चौहदी के साथ निर्गत किया | कैलाश राम ने झोपड़ी को हटाकर उक्त प्लाट की भूमि पर खपड़ा पोश मकान का निर्माण किया | जमींदारी उन्मूलन के बाद इब्राहीम खां ने कैलाश के नाम से भूमि का जमींदारी रिटर्न दाखिल किया | अपीलार्थी ने अपील अर्जी में आगे उल्ल्लेख किया है की कैलाश राम का अपने पीछे विधवा लक्ष्मी कुंवर पुत्र बबलू राम , पुत्री सानु गुजराती एवं मनु गुजराती को छोड़कर निधन हो गया | बब्लू राम डालटनगंज छोड़कर वाराणसी चला गया |दोनों पुत्रियों की शादी हो गयी और वे ससुराल चली गयी | लक्ष्मी कुंवर अति वृद्ध हो गयीं तो अपनी देखभाल एवं सेवा शुश्रुषा के लिए पुत्री सानु गूजरती को डालटनगंज बुलाकर अपने घर में रख लिया , तब से अपीलार्थी सानु गुजरती प्रश्नगत खपड़ापोश मकान में रहती है तथा माँ लक्ष्मी कुंवर की मृत्यु के बाद भूमि एवं मकान के

उतराधिकार एवं दखल कब्जे में आ रही है | जबकि विपक्षी ने जीवन प्रसाद सिंह से प्रश्नगत भूमि का गलत केवाला कराकर चुपके से दाखिल ख़ारिज करा लिया ह ० कर्मचारी / अ० नि० ने न तो कोई स्थलीय जांच की है और न स्वय अंचल अधिकारी ने ही जांच की है | तथा बिना इश्तेहार का प्रकाशन कराये ही विपक्षी के नाम से दाखिल ख़ारिज का आदेश पारित कर दिया गया है जो अवैध एवं ख़ारिज के योग्य है |

विपक्षी ने अपने रिज्वायंडर में दावा किया है की अपीलार्थी द्वारा दायर यह अपील वाद कालबाधित है जो मात्र इसी बिंदु पर ख़ारिज के योग्य है | वस्तुतः अपीलार्थी का मामला स्वत्व अधिकार से सम्बंधित है | जिसका समाधान व्यवहार न्यायलय द्वारा संभव है | विपक्षी ने अपीलार्थी के द्वारा अपील अर्जी के लिए सभी दावों को बनावटी एवं मिथ्या होने का दावा किया है तथा कहा है की प्रश्नगत भूमि के भूतपूर्व जमींदार डा ० अब्दुल हामिद नहीं थे और सुदामा राम उनका मोलाजिम भी नहीं था और प्रश्नगत भूमि की कोई बंदोबस्ती ही सुदामा राम या उसके पुत्र कैलाश राम के साथ की गयी है | सोची समझी रणनीति के तहत मनगढ़ंत कहानी बनायीं है | तथा भूमि को हड़पना चाहती है | विपक्षी का दावा है की प्रश्नगत भूमि एवं इसपर निर्मित पुराना मकान अपने विक्रेता मे निबंधित केवाला स० -21 दिनांक - 4.01.16 के माध्यम से क्रय कि है तथा मकान सही सलामत रहे तथा इसकी मरम्मती होते रहे इसीलिए विपक्षी ने अपीलार्थी एवं अन्य को उक्त पुराना मकान में रहने के लिए अनुमति दे दिया है | जबकि अब अपीलार्थी लालच वश विपक्षी की क्रय की गयी भूमि मकान को हड़पने की साजिश रच रही है | विपक्षी का दावा है की ह०

हल्का कर्मचारी / अ० नि० को जांच प्रतिवेदन प्राप्त करने तथा आम इश्तेहार का प्रकाशन कराने के बाद ही अंचल अधिकारी द्वारा विपक्षी के नाम से दखिल - ख़ारिज का आदेश पारित किया गया है | विपक्षी ने अपने रिज्वायंडर में उल्लेख किया गया है की बबलू राम पिता स्व० कैलाश राम जो अपीलार्थी का भाई है ने विपक्षी के प्रश्नगत केवाला में गवाह के रूप में अपना हस्ताक्षर किया है | विपक्षी का दावा है की अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश बिलकुल उचित एवं सही है | जिसमे हस्तक्षेप करना न्याययोचित नहीं है | अपीलार्थी का अपील आवेदन निराधार है जो ख़ारिज के योग्य है |

अपीलार्थी द्वारा दा 0 खा 0 वाद स० -1074 /15.16 में अंचल अधिकारी सदर मेदिनीनगर द्वारा पारित आदेश ह० कर्मचारी / अ० नि० द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन एवं शुद्धी पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि दाखिल किया गया है | ह० कर्मचारी /अ० नि० के जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है की प्रतिनिधि कर्ता के पिता नर्वदेश्वर प्रसाद सिंह के नाम से जमाबंदी कायम है | विपक्षी के विक्रेता ने प्रतिनिधि पत्र स० -190 दिनांक -5.10.15 से प्राप्त अधिकार के आलोक में प्रश्नगत भूमि विपक्षी को बिक्री की है | प्रश्नगत भूमि पर विपक्षी का दखल कब्ज़ा का होना प्रतिवेदित है | प्रतिवेदित किया गया है की प्रश्नगत भूमि भूदान भू- हदबंदी , बासगीत , बंदोबस्ती एवं सार्वजनिक उपयोग से मुक्त है | आदेश पत्रक में आम इश्तेहार का प्रकाशन करने का उल्लेख है | स्पष्ट है अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश नियमाकुल है जिसमे हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है | अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में दा 0 खा 0 वाद स० 1074 /1516

में अंचल अधिकारी सदर द्वारा दिनांक -28.01.16 का पारित आदेश बहाल रखा जाता है। अपीलार्थी का अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर मेदिनीनगर

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर मेदिनीनगर